राजस्थान सरकार
कार्यालय पर्यटक स्वागत केन्द्र, सारस चौराहा, भरतपुर 05644—222542
E-mail ID-TrcBharatpur@gmail.com

क्रमांक प.स्वा.के./ब्रज होली महोत्सव/सीमित बोली/22/375 दिनांकः— 25/2/2022

सीमित बोली दर सूचना

पर्यटन विभाग द्वारा भरतपुर मे दिनांक 12—14 मार्च 2022 को ब्रज होली महोत्सव 2022 मे विभाग द्वारा आयोजित किये जाने वाली मेगा नाईट तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु **सामान्य लाईट व्यवस्था** कराये जाने के लिए पर्यटक स्वागत केन्द्र, भरतपुर द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा फर्म निविदा जारी होने से दिनांक 04 मार्च 2022 तक कार्यालय पर्यटक स्वागत केन्द्र, भरतपुर से प्राप्त किया जा सकता हैं। सील बन्द निविदाएं दिनांक 04 मार्च 2022 को दोपहर 12.00 बजे तक जमा की जायेगी। प्राप्त निविदिाएं दिनांक 04 मार्च 2022 को ही अपरान्ह 03.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कमेटी द्वारा खोली जावेगी। कार्य की अनुमानित लागत रू. 02.00 लाख है। नियत समय के पश्चात कोई निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

कार्य का विवरण

(लोहागढ स्टेडियम, विश्वप्रिय शास्त्री पार्क, भरतपुर एवं मेला मैदान डीग तथा डीग महल, डीग, एवं कोटऊपर रंगमंच, कामां मे दिनांक 12 मार्च से 14 मार्च 2022)

क्र.स.	कार्य का पूर्ण विवरण	अनुमानित मात्रा	दर	दर
1.	पेडों तथा कार्यकम स्थल पर रंगीन एलईडी हेलोजन	250	प्रति नग	
2.	रंगीन राईस लडी बल्ब (विभिन्न रंगो की)	1000	प्रति नग	
3.	जनरेटर 65 केवी मय डीजल (6 घण्टे)	2	प्रति दिन	
4.	जनरेटर 125 केवी मय डीजल (6 घण्टे)	2	प्रति दिन	
5.	हेलोजन पोल 20 फीट लंबे	40	प्रति नग	
6.	एलईडी हेलोजन 50 वॉट	आवश्यकतानुसार	प्रति नग	
7.	एलईडी हेलोजन 100 वॉट	आवश्यकतानुसार	प्रति नग	
8.	केबल तार	आवश्यकतानुसार	प्रति मीटर	
9.	जनरेटर से लाइटों हेतु कनेक्शन केबल	आवश्यकतानुसार	प्रति मीटर	

अतः इच्छुक फर्मे दिनांक 04.03.2022 की दोपहर 12.00 बजे तक बन्द लिफाफे मे बोली दरें पर्यटक स्वागत केन्द्र, भरतपुर कार्यालय में जमा करा सकते है। प्राप्त बोलियां दिनांक 04.03.2022 को दोपहर 03.00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी। बोली स्वीकार करने का अंतिम निर्णय अद्योहस्ताक्षर का होगा।

(अनिल राठौड़)
उप निदेशक

शर्ते :—

Scanned with CamScanner

1. उक्त सामान कार्यक्रम स्थल वाले स्थल पर एक दिवस पूर्व विभाग के अधिकारियों के निर्देशानुसार लगाना होगा तथा किराया कार्यक्रम के वास्तविक दिवसों का ही देय होगा।
2. दरें परिवहन, भराई, लेबर, ईधन एवं प्रतिष्ठापित करने सहित दी जाए, किसी प्रकार की दर पृथक से देय नहीं होगी।
3. उक्त सामानों मे किसी प्रकार की से हुई क्षति, टूट–फूट व कमी के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।
4. सामान की तादाद मे आवश्यकतानुसार कमी, वृद्धि अथवा रदद् की जा सकती है।
5. किराए पर प्रदान किए जाने वाले सामान की गणना की जा सकेगी। उसके बाद ही बिल पारित हो सकेगा।
6. सामान अच्छा व साफ–सूथरा, सुव्यवस्थित ही स्वीकार किया जाएगा।
7. सामान को कार्यक्रम के पूर्व/ पश्चात लगाने/उठाने ले जाने संबंधी परिवहन आदि की समस्त जिम्मेदारी फर्म की होगी।
8. आवश्यक समझे जाने पर सामान एक दिवस पूर्व मौके पर लगा कर चैक करना होगा इसके लिए 50 प्रतिशत भुगतान देय होगा।
9. विभाग न्यूनतम दर वाली निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं, निविदा बिना कारण बताओं कमेटी द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है।
10. निश्चित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदा अथवा बिना हस्ताक्षर निविदाएं स्वीकार नहीं की जाऐगी।
11. निविदादाता फर्म का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन का प्रमाण निविदा फार्म के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जावे।
12. दरें समस्त करों सहित निविदा फार्म पर स्वच्छ रूप से भरकर फर्म के लेटर हैड के साथ निविदादाता के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करनी होगी।
13. किसी सामान की दर सेडयूल से छूट जाने पर आवश्यकतानुसार सामान मांग अनुसार बाजार दर पर सप्लाई करना होगा।
14. फर्म का राज्य सरकार के विभाग मे ए क्लास इलेक्ट्रिक का लाइसेंस होना अनिवार्य है। जिसकी फोटो प्रति संलग्न करें।
15. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशो कि पालना निविदादाता को करनी होगी।
16. निविदा मे भाग लेने वाली फर्म ब्लेक लिस्ट नहीं होनी चाहिए।
17. फर्म के विरूद्ध राज्य सरकार मे किसी प्रकार कि देयता बकाया नहीं होनी चाहिए।
18. संवेदक द्वारा आदेशानुसार उपलब्ध कराये जाने वाले सामान/यंत्रों का संचालन व सुरक्षा कि जिम्मेवारी स्वयं संवेदक कि होगी।
19. कार्यक्रम किसी कारण रदद् होने पर किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायगा।

उप निदेशक

Scanned with CamScanner